प्रकाशन हेतु अनुमोदित

युगलपीठ: माननीय श्री एल.सी.भादू

एवं माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा न्यायमूर्तिगण

दांडिक अपील क्रमांक – 434/1993

अपीलकर्ता : तरसीसीयूष

बनाम

प्रत्यर्थी : मध्य प्रदेश राज्य

अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री शर्मिला सिंघई।

प्रतिवादी/राज्य की ओर से विद्वान श्री यू.एन.एस.देव, अपर लोक अभियोजक तथा विद्वान श्री अखिल मिश्रा, पैनल अधिवक्ता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मौखिक निर्णय
(08.02.2006)

एल.सी. भादू, न्यायमूर्ति

1. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत इस अपील द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी ने सत्र प्रकरण क्रमांक 111/92 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश दिनांक 21.04.1993 की वैधता और शुद्धता को चुनौती दी है, जिसके तहत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जशपुरनगर ने अभियुक्त/अपीलार्थी को नोरबेटियस की मानव वधके लिए दोषी ठहराते हुए उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

2. अभियोजन का मामला यह है कि दिनांक 7.3.1992 को लगभग 11 बजे प्रातः अभियुक्त तरसिसियस ने अपने भाई नोरबेटियस पर, अभियुक्त की पत्नी रेजिना के उकसावे पर, कुल्हाड़ी से सिर और कनपटी पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। जब अलविस खेत से आ रहा था, तब उसने झगड़ा होते हुये देखा। उसने इसकी सूचना अपने भाई जोनुस को दी।

तत्पश्चात, ग्रामीण घटनास्थल पर आ गए और देवनिस ने मामले की रिपोर्ट पुलिस थाना नारायणपुर में पी–1 के तहत दर्ज कराई। मामला पी–1, भा.द.स की धारा 302 के तहत दर्ज करने के बाद जांच अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हुए। पुलिस हिरासत में अभियुक्त ने अपराध के हथियार अर्थात कुल्हाड़ी रखने के स्थान के संबंध में ज्ञापन पी–2 दिया और उस ज्ञापन के अनुसरण में पी–3 के तहत कुल्हाड़ी बरामद की गई, सादी मिट्टी, खून से सनी मिट्टी को पी – 4 के तहत कब्जे में लिया गया, व आरोपी के खून से सने कपड़े, अंडर गारमेंट्स और एक लुंगी को पी–5 के तहत कब्जे में लिया गया। पंचों को सूचना देने के बाद नोरबेटियस पी–6 के शव का पंचनामा तैयार किया गया। साइट प्लान पी–8 भी तैयार किया गया। नोरबेटियस के शव को शव परीक्षण के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कुनकुरी भेजा गया जहां डॉ. एस. टोप्पो पी.डब्लू.–10 ने शव परीक्षण किया, और शव परीक्षण रिपोर्ट पी–12 तैयार की जिसमें उन्होंने मृत्यु का कारण खोपड़ी की हड्डी टूटने से अत्यधिक रक्तस्राव होना बताया, उनके सुझाव में मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी। अन्वेषण पूर्ण होने के बाद होने के बाद आरोपी/अपीलकर्ता और सह–आरोपी रेजिना, आरोपी/अपीलकर्ता की पत्नी के खिलाफ जेएमएफसी, जशपुरनगर की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को सौंप दिया। जहां विद्वान सत्र न्यायाधीश, जिला रायगढ़ ने मामले को सुनवाई के लिए स्थानांतरित कर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जशपुरनगर को भेजा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए पंद्रह गवाहों का परीक्षण किया। आरोपियों के बयान भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ पेश किए गए अभियोजन पक्ष के सबूतों से इनकार किया और कहा कि वे निर्दोष हैं और उन्हें अपराध में झूठा फंसाया गया है।

4. विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने लोक अभियोजक और अभियुक्तों के अधिवक्ता की तर्को को सुनने के बाद अभियुक्त/अपीलकर्ता को इस निर्णय के पैराग्राफ एक में उल्लेखित अनुसार सिद्धदोष पाया और सजा सुनाई। हालांकि सह–अभियुक्त रेजिना, अभियुक्त/अपीलकर्ता की पत्नी को भा.द.स की धारा 109/302 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया।

5. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया है।

6. नोर्बेतियुस की मानव वध विवाद का विषय नहीं है।

7. जहां तक आरोपी/अपीलकर्ता की उक्त अपराध में संलिप्तता का प्रश्न है, पी.डब्लू.–13 अलविस तिर्की प्रत्यक्षदर्शी है, जिसने बताया है कि दिनांक 07.03.92 को वह खेत से लौट रहा था और जब नोर्बेट्यूस तारसिसियस के घर पहुंचा तो तारसिसियस ने उसके कनपटी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप नोर्बेट्यूस जमीन पर गिर गया, जिस पर रेजिना ने कहा "एक बार फिर नोर्बेट्यूस पर हमला करो", जिस पर तारसिसियस ने फिर से नोर्बेट्यूस पर कुल्हाड़ी से हमला किया और उसके बाद, उसने अपना पैर नोरबेटियस की गर्दन पर रख कर दबाने लगा और रेजिना नोरबेटियस की छाती पर बैठ गई। उसने अपने भाई को घटना की जानकारी दी। इसके बाद गांव वाले मौके पर आए और नोरबेटियस के शरीर पर चोट के निशान देखे और पुलिस स्टेशन नारायणपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई। पी.डब्लू.–4 सुखचरण ने अपनी गवाही में कहा है कि उस दिन जब वह बांस छील रहा था तो उसने तारसीसियस, रेजिना और नोरबेटियस के बीच झगड़े की आवाज सुनी, उसके बाद शांति हो गई। पी.डब्लू.–10 डॉ. एस. टोप्पो ने कहा है कि 08.03.92 को उन्होंने नोरबेटियस के शव का शव परीक्षण किया और पाया कि सिर के बायीं ओर 1x1/2x/1/2" आकार का एक चीरा हुआ घाव था, जिसके कारण ओसीसीपिटल हड्डी टूट गई थी और खून का थक्का जम गया था और मस्तिष्क का पदार्थ बाहर आ रहा था। दूसरी चोट चेहरे के बायीं ओर 1x1/2x1/2" आकार का था और मैक्सिलरी हड्डी टूट गई थी, घाव के नीचे हेमोटोमा था और चेहरे के दाहिनी ओर जबड़े की गर्दन के ठीक ऊपर सूजन और चोट थी और हेमोटोमा था। चोटें मानव वधकी प्रकृति की थीं। रिपोर्ट पी–12 है। 25.03.92 को उन्होंने कुल्हाड़ी की जांच की और रिपोर्ट दी। मृतक के शरीर पर जो चोटें पाई गईं, वे कुल्हाड़ी के कारण हो सकती हैं और रिपोर्ट पी–13 है। प्रति परीक्षण में उन्होंने बताया कि कुल्हाड़ी की फल 4.5 सेमी लंबी थी, जो 1 1½ इंच से अधिक और 2 इंच से कम थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि साक्षी अ.सा.13 अलविस तिर्की ने कहा है कि अभियुक्त ने पैर से गर्दन दबाई, लेकिन कोई संगत चोट नहीं पाई गई, इसलिए इस साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। इस साक्षी के साक्ष्य को देखते हुए भले ही कोई चोट नहीं पाई गई हो लेकिन गर्दन पर चोट के निशान पाए गए हैं, इस गवाह के साक्ष्य को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्त ने मृतक के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला किया था और मृतक के चेहरे और सिर पर इसी तरह के घाव पाए गए थे और इसके अलावा उन चोटों की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी होती है। विद्वान अधिवक्ता ने इस गवाह के साक्ष्य पर इस आधार पर भी प्रश्न किया कि इस गवाह का आचरण ऐसा था कि उसने अपने भाई के अलावा किसी को भी अपराध की गवाही देने के तथ्य का खुलासा नहीं किया था, लेकिन तथ्य यह है कि उसने अपने भाई जोनस को सूचित किया था और अन्य व्यक्तियों को सूचित न करने पर उसके साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि यह व्यवहार हर व्यक्ति पर अलग निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति विशेष परिस्थितियों में कैसा आचरण या व्यवहार करता है। इसके अलावा घटना दिन के उजाले में हुई और इस गवाह के प्रति परीक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे कि इस गवाह की अभियुक्त के खिलाफ कोई दुश्मनी थी ताकि वह उसके खिलाफ गवाही दे और उसे झूठे मामले में फंसाए। इसके अलावा झगड़ा भाइयों के बीच था, इसलिए इस गवाह के पास अभियुक्त/अपीलकर्ता को झूठे मामले में फंसाने का कोई कारण नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. इसलिए अ.सा.–13 अलविस तिर्की के साक्ष्य, चिकित्सीय साक्ष्य और अ.सा.– 4 सुखचरण के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुये, हम इस बात से आश्वस्त हैं कि आरोपी ही प्रश्नगत अपराध का रचयिता था और हम विचारण न्यायालय के फैसले में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं पाते हैं।

10. अभियुक्त/अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **प्रकाश चंद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रतिवेदित, एआईआर 2004 एससीडब्लू 4650,** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर अवलंब लेते हुए तर्क दिया कि साक्ष्यो से अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया है कि अभियुक्त ने मृतक पर उसकी मानव वधकरने के आशय से हमला किया था, इसलिए अभियुक्त/अपीलकर्ता के कथित अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 304–II के अंतर्गत नहीं आता है।

11. इसी फैसले के पैराग्राफ 8 में यह माना गया है कि हालांकि दूरी हमेशा अभियुक्त के आशय या ज्ञान के बारे में निर्णायक नहीं होती है, फिर भी तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर विचार किया जाना चाहिए, जिसमें, लगी चोटों की प्रकृति, इस्तेमाल किए गए हथियार और ऐसे अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस मामले में दो भाइयों के बीच छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ था कि एक भाई का कुत्ता दूसरे भाई के घर में घुस गया था, जिस पर दूसरे भाई ने आरोपी से कहा कि वो अपने कुत्ते को क्यों नहीं बांध के रखता, जिससे आरोपी क्रोधित हो गया, वह अपने घर से बंदूक लाया और 35 फीट की दूरी से गोली चला दी। न्यायालय ने माना कि गोली 35 फीट की दूरी से चलाई गई थी और छर्रा मृतक को लगा इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि गोली मारने का आशय था। **विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1958 एससी 465 में प्रतिवेदित,** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धारा 300 के खंड तीन के तहत, भा.द.स गैर इरादतन हत्या, मानव वधहै, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं उदाहरण. (ए) कि वह कार्य जो मृत्यु का कारण बनता है वह मृत्यु में कारण बनने के आशय से किया गया है, या ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के आशय से किया गया है; जो (बी) कि चोट पहुंचाने का आशय है वह प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. यह साबित किया जाना चाहिए कि उस विशेष शारीरिक चोट को पहुंचाने का आशय जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। अर्थात जो चोट मौजूद पाई गई वह वही चोट थी, जो कारित करने का आशय था, जो मामले के खंड के अंतर्गत आता है, तीसरी, यह जरूरी नही है, की अपराधी का आशय मृत्यु कारित करने का था, जब तक की मृत्यु प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त जानबूझकर शारीरिक चोट या चोटों से सुनिश्चित होती है खंड ।।। में अपराध को साबित करने के लिए आशय ही मुख्य उपाय है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या शारीरिक चोट पहुँचाते समय अभियुक्त मृतक की मृत्यु कारित करने का आशय रखता था और आशय का पता लगाने के लिए विचार किए जाने वाले तथ्य निर्णायक कारक हैं , जैसे इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति, हथियार का आकार और वह स्थान जहाँ हमला किया गया था और अपराध की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि।

13. **आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रायवरपु पुन्नय्या के मामले में (1976) एससीसी 382 मे प्रतिवेदित,** किए गए न्यायालय ने कहा कि शारीरिक चोट में बहुवचन शामिल है, इसलिए भले ही कोई भी चोट व्यक्तिगत रूप से घातक न हो, लेकिन संचयी रूप से घातक हो, मामला इस खंड के अंतर्गत आता है।

14. उपरोक्त सिद्धांत के प्रकाश में यदि हम वर्तमान मामले में उपलब्ध साक्ष्यों पर गौर करें तो यह स्पष्ट है कि पहली बार आरोपी ने घातक हथियार यानी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया, एक बार सिर पर वार किया जिसके परिणामस्वरूप मृतक गिर गया लेकिन इससे आरोपी ने आगे भी हमला करना बंद नहीं किया। उसने फिर से दोबारा वार किया और परिणामस्वरूप ओसीसीपिटल हड्डी टूट गई और मस्तिष्क का पदार्थ बाहर आने लगा। उसी कुल्हाड़ी से दूसरी चोट चेहरे के बाईं ओर लगी जिसके परिणामस्वरूप मैक्सिलरी हड्डी टूट गई और फिर तीसरी चोट चेहरे के दाईं ओर लगी जिसके परिणामस्वरूप जबड़े की हड्डी भी टूट गई और फ्रैक्चर हो गया, इसलिए चेहरे और सिर की लगभग सभी हड्डियाँ फ्रैक्चर हो गई और मृतक की तुरंत ही मृत्यु हो गई। इस प्रकार चूंकि चोटें घातक हथियार से पहुंचाई गई थीं, वह भी बार–बार, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आरोपी अपीलकर्ता की ओर से मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर चोट पहुंचाने का आशय था जो सामान्य प्रकृति के क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त था। इसलिए, इस पृष्ठभूमि में, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा पेश किए गए तर्क आरोपी के लिए कोई मदद नहीं करती हैं और विचरण न्यायालय ने भा.द.स की धारा 302 के तहत अपराध कारित करने के लिए आरोपी को सही ढंग से दोषी ठहराया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये, हमें विचरण न्यायालय के निर्णय में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं दिखती है व अपील में कोई बल नहीं है और इसलिए यह खारिज किए जाने योग्य है। तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

हस्ता /–
एल.सी. भादू
न्यायमूर्ति

हस्ता /–
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by:– Gajendra Prakash Sahu

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur